

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम- भीनमाल

वादी/अप्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

जालिह पुत्र भीरवसिंह

हडभासिह पुत्र भूलेसिंह

0 भीनमाल

रालपूर नि. भीनमाल  
कै. 21 (84)

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/ .....

नंबर 33/2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
11.7.13	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री <u>दाभूराम</u> द्वारा <u>दावा</u> बाबत <u>विभाजन स्वतंत्रता</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिफ <u>सम्मान</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>26/8/2013</u> को पेश हो।</p>	<p>सम्मान 141 12/3/13</p>
26/8/13	<p>वादिगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 से 3 तक के सम्बन्ध आन्वय भूकाम पर चरपा होकर प्राप्त हुए हैं, नम्बर 4 का स्वयं द्वारा तामिल होकर प्राप्त हुआ है नम्बर 5, 6, 7 का तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुआ है। नम्बर 8 का स्वयं द्वारा नम्बर 9, 10, 11 का तामिल अदम प्राप्त नहीं हुए हैं। नं. 12 का स्वयं द्वारा, 13 का स्वयं द्वारा, 14 का स्वयं द्वारा, नम्बर 15 का अदम तामिल, नम्बर 16 का तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुआ है। नम्बर 17 का पत्नी से 18 का पिता से व नम्बर 19 का माता से, नम्बर 20 का तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुआ है। नम्बर 21 प्रति श्री, नम्बर 22 मतिज से, नम्बर 23 पुत्र से, 24 व 25 अदम तामिल प्राप्त हुए हैं। नं. 26 तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुए हैं। नम्बर 27 का वास्तु श्री अशोक मोहनपुरीया द्वारा बखलातनामा पेश किया जो तामिल मिशाल है नम्बर 28 व 29 का स्वयं द्वारा,</p>	<p>20/8/13</p>

26/6/19 वकुलाय फरीके व हाजिर।  
आधिकारिता विभाग पत्राव विवेक  
हेतु अवसर चाहे है अवसर दिया  
जमा है मिलत तारीख 3.7.19 को  
पेश हो।

सहायक कलेक्टर

बीनमाल

37.19 वकुलाय फरीके उपलक्षित  
त भूमि माल से प्राप्त विभाग  
पत्राव पश्कारान आधिकारिता विवेक  
हेतु अवसर चाहे है न्यायहित  
में अवसर दिया जाता है मिलत  
तारीख 16.7.19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
बीनमाल

167.19 वकुलाय फरीके व हाजिर।  
पश्कारान आधिकारिता को सुना गया  
प्रमाण का उपलब्ध कि या गया।  
तरीखदार भूमि माल से विभाजन  
पत्रावनुसार माल में आरंभ  
दिकी जारी की जाती है मिलत  
निर्णय अलब से निवा जाकर  
सुवाभाव शासित मिलत कि या जय  
निर्णय प्रति तरीखदार भूमि माल  
को भेजी जाये। बाद तामिल सुमील  
को पत्रावली के तल सुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
बीनमाल